जैलाराई / लिखमाराई 46/19

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 5/7/24 | पत्रावली पेश। बहस अपर्याप्त सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/24 पेश हो। | |
| 18/7/24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 46/2019

1 जैसाराम पुत्र नाथूराम
2 गोपीराम पुत्र नाथूराम
3 बालूराम पुत्र चेताराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रूल्याणा पट्टी उप तहसील नेछवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.

अपीलांट

बनाम

1 लिखमाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट निवासी रूल्याणा पट्टी उप तहसील नेछवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का भिलूण्डा उप तहसील नेछवा जिला सीकर।
3 नायब तहसीलदार नेछवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
4 तहसीलदार लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2019 मु.नं. 19/2018 बउनवानी लिखमाराम बनाम जैसाराम न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्षमणगढ़ जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरफल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

## –निर्णय–

दिनांकः– 18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्षमणगढ़ द्वारा मुकदमा 19/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 43 प्राथी व इसके भाईयों का खेत है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता खसरा नम्बर 48 रकबा 0.05 हैक्टेयर गे.मु. रास्ता है जिसको खसरा नम्बर 49 व 50 के खातेदार अपीलांट ने बंद कर दिया व आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है रास्ते का उपयोग उपभोग पूर्वजो के समय से करते आ रहे है इसलिए अप्रार्थीगण/अपीलांट को पाबंद फरमाया जावे कि वो रास्ते के उपयोग उपभोग में अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया गया जिनका जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलांट ने अभिकथित किया कि भूमि खसरा नम्बर 49, 55 पुराने खसरा नम्बर 9 ग्राम रूल्याणा पट्टी में भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गलत रूप से खसरा नम्बर 48 रास्ता का इन्द्राज हो गया जिसकी दुरूस्ती बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्षमणगढ़ में बालूराम बनाम तहसीलदार आदि प्रकरण विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी लिखमाराम द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन पेश किया हुआ है तथा इसी रास्ते बाबत प्रार्थी लिखमाराम द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय लक्षमणगढ़ में दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। रास्ता भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व रिकार्ड में नही था, ना ही कोई प्रचलित या पूर्वजो के समय से रास्ता रहा है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 55 के दक्षिण सीमा से सटकर जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का दिनांक 16.07.2010 को निर्णय पारित करते हुए स्वीकार करते हुए अपीलांट को खसरा नम्बर 48 में व्यवधान नहीं करने, रास्ता बंद नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जिस रास्ते के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा वाद व आवेदन प्रस्तुत किया गया, वह रास्ता दौराने सैटलमेन्ट अर्सा करीब 3–4 वर्ष पूर्व भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया, जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने एक वाद बाबत रेकार्ड दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा उसी न्यायालय में प्रस्तुत वाद रखा था जिस वाद में रास्ता का अंकन वैध या अवैध होना शेष था तथा उस वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका था इसलिए उस वाद का निर्णय होना शेष रहते हुए भी विचारण न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आवेदन 212 आरटीएक्ट स्वीकार करने का निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने इस ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इसी रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 48 को लेकर एक वाद एवं वाद के साथ आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सपठित धारा 151 सीपीसी माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्षमणगढ़ जिला सीकर में प्रस्तुत कर रखा था जिसके माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 32/2018 बउनवानी लिखमाराम बनाम जैसाराम वगैरह में दिनांक 27.07.2018 को निर्णय पारित करते हुए स्थगन आवेदन खारिज किया एवं अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.05 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता का भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना अंकन किया गया है जिसकी दुरूस्ती बाबत अपीलांट का वाद विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का रास्ता खसरा नम्बर 55 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे मौजूद होना मान्य किया, परन्तु विचारण न्यायालय ने माननीय सिविल न्यायाधीश के निर्णय को सुपरसीड करते हुए केवल मात्र कयासों के आधार पर एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन के आधार पर निर्णय पारित कर गंभीर कानूनी भूल की है। प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में न होकर माननीय सिविल न्यायाधीश लक्षमणगढ़ का निर्णय होने व अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 48 राजस्व अधिकारियों द्वारा दौराने सैटलमेंट गलत अंकन हो जाने की दुरूस्ती बाबत वाद विचाराधीन होने से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है एवं खसरा नम्बर 48 में रास्ता कायम हो जाने से अपीलांट की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाने, सिंचाई निराई व आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के बाबत वाद व आवेदन लेकर आया, जबकि राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ते मे अवरोध हटाने, रास्ता चालू करवाने का क्षेत्राधिकार धारा 251 आरटीएक्ट से संबंधित तहसीलदारजी को एवं ग्राम पंचायत को है इसलिए विचारण न्यायालय को राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता के बाबत वाद सुनवायी का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वाद रेकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जिस भूमि के बाबत वाद प्रस्तुत किया, उसका वह सहखातेदार या खातेदार नहीं है इसलिए जब वाद पत्र ही पोषणीय नहीं था तो आवेदन 212 आरटीएक्ट स्वीकार करना कतई न्याय संगत नहीं है। अपीलांट की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 9 रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके रूल्याणा पटटी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर में अपीलांट ने विद्युत चालित टयूबवेल बना रखा है जिसमे सिंचाई कर रहे है परन्तु अर्सा करीब 3–4 वर्ष पूर्व भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एंव इसके परिवारजन द्वारा भू प्रबंध कर्मचारियों के साथ साज करके गलत रूप से अपीलांट की भूमि के बीच में राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करवा लिया जबकि मौके पर अपीलांट की कृषि भूमि के बीच में से होकर कोई रास्ता न तो पूर्व में था, ना ही वर्तमान में है परन्तु विचारण न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट अपीलांट की भूमि के बीच में से खसरा नम्बर 48 में रास्ता कायम करने का आमादा है जिसमें अपीलांट की भूमि दो भागों में विभक्त होकर अपीलांट के कृषि कार्य फसल सुरक्षा एवं सिंचाई कार्य में भारी क्षति होने की संभावना उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.05 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता वाके ग्राम भिलूण्डा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भिलूण्डा दिनांक 05.11.2018 के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 48 में से रास्ता चालू है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सबल है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 43, 45, 46, 47 इस विवादित रास्ते के नजदीक है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया मामला

भू-प्रबन्ध अधिकारी ए
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से ग्राम भिलूण्डा की भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते के संदर्भ में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा एवं टी.आई आवेदन प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा गेर मुमकिन रास्ते की भूमि के संदर्भ में टीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया है। गैर मुमकिन रास्ते को चालु करवाने अथवा अवरोध पैदा नहीं करने के लिए धारा 251 में विधिक प्रावधान दिये गये हैं। विधि अनुसार प्रार्थी का वाद एवं आवेदन पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अप्रार्थी/अपीलांट ने अपने जवाब आवेदन में कथन किया है कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु खसरा नम्बर 55 के दक्षिणी सीमा से सटकर रास्ता मौजुद है। अपीलांट द्वारा भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना सुनवाई खसरा नम्बर 48 में अंकित किये गये रास्ते के संदर्भ में विचारण न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है। इस वाद में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत कर रखा है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अंकित विवादित रास्ता विधि सम्मत है अथवा नहीं इसका निर्णय नियमित वाद में होना शेष है। इन तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार लक्षमणगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 से होती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादित रास्ते के संदर्भ में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट लिखमाराम की ओर से न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्षमणगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 32/2018 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था। सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांकि 27.07.2018 से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का आवेदन खारिज करते हुए यह अंकित किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 55 के दक्षिण सीमा से सटकर आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने सिविल न्यायालय के विवेचन पर गोर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

प्रस्तुत प्रकरण में वरवक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित रास्ते से अपीलांट के खेत के दो टुकड़े होते है। अपीलांट सींव के सहारे–सहारे रास्ता देने हेतु आज भी तैयार है किन्तु रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने इस पर सहमति प्रदान नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी